



MCD एल्डरमैन को मनोनीत करने का LG का अधिकार

प्रलिस के लयः

[लेफ्टर्नैट गवरनर \(LG\)](#), [एल्डरमैन](#), [दललल नगर नगल अधनलयड, 1957](#), [सथानीय सरकार](#), [वारड समतल](#), [सथायी समतल](#), [अनुचछेद 239AA](#), [मंत्रपरषड](#), [69वाँ संशोधन अधनलयड, 1991](#), [उददेश्यपूरण नरलमाण](#), [संघवाद](#)

मेन्स के लयः

नई दललली का शासन मॉडल और नरलवाचतल वधलनसभल तथल LG के बीच सत्ता का संघरष ।

[सुरतः इंडयलन एक्सप्रेस](#)

चरचा में कयों?

सरवोच्च न्यायालय (SC) ने कहा कल दललली के [लेफ्टर्नैट गवरनर \(LG\)](#) दललली सरकार की मंत्रपरषड से परलमरश कयल बनल दललली नगर नगल (MCD) में "एल्डरमैन" को नलमतल कर सकते हैं ।

MCD एल्डरमैन के नलमांकन पर सरवोच्च न्यायालय ने कयल नरलयण दयल?

- सरवोच्च न्यायालय ने नरलयण सुनलया कल [दललली नगर नगल अधनलयड, 1957](#) (DMC अधनलयड) की धलरल 3, दललली के LG को मंत्रपरषड से परलमरश कयल बनल एल्डरमैन को नलमतल करने की "सपषट" शकतल परदान करती है ।
- अपनल नरलयण देने के लयल सरवोच्च न्यायालय ने [दललली सरकार बनाम भारत संघ 2023](#) के पाँच न्यायाधीशों की पीठ के नरलयण पर भरुसा कयल ।
 - वरष 2023 में, सरवोच्च न्यायालय ने नलनल कल जब बलत [राषट्रीय राजधलनी कषेतर दललली](#) की हु तल [संसद](#) को [राज्य सूची](#) के वषलयों पर भी कलनून बनाने का अधकलर हुगल ।
 - इस नलनले में 'सथानीय सरकार' के संबंघ में कलनून बनलनल शलमल हुगल, हुल [राज्य सूची](#) के अंतरगत आतल है और [DMC अधनलयड 1957](#) से संबंघतल है ।

एल्डरमैन के नलमांकन में कयल मुददे थे?

- संवैधनकल परलवधलनः भारतीय संवधलन के [अनुचछेद 239AA](#) में यह परलवधलन है कल मंत्रपरषड और मुखयमंत्री को वधलनसभल के अधकलर कषेतर के अंतरगत आने वलले नलनलों में उपरलज्यपाल को "सहलयतल तथल सललह" देने चलहयल, सवलय तब जब उपरलज्यपाल को कलनून के अनुसलर ववलकलनुसलर करलर करनल हु ।
 - दललली वधलनसभल को 'सरलवजनकल वयवसथल', 'पुलसल' और 'भूमल' को छुडकर अधकलंश वषलयों पर कलनून बनाने का अधकलर है ।
- एल्डरमैन नलमांकनः 3 जनवरी, 2023 को दललली LG ने [DMC अधनलयड, 1957](#) की धलरल 3 के तहत 10 एल्डरमैन नलमतल कयल ।
- कलनूनी चुनौतीः दललली सरकार ने नलमांकन को सरवोच्च न्यायालय में चुनौती दी ।
 - दललली सरकार ने [दललली सरकार बनाम भारत संघ, 2018](#) में सरवोच्च न्यायालय के फैसले कल हुवलल दयल, जसलमें कहा गयल थल कल LG को [राज्य और समवरती सूची](#) के तहत नलनलों के लयल मंत्रपरषड की सहलयतल तथल सललह कल पलन करनल चलहयल ।
- LG कल तरकः दललली LG ने तरक दयल कल [DMC अधनलयड, 1957](#) उनहें मंत्रपरषड की सललह के बनल [एल्डरमैन](#) को नलमतल करने की शकतल परदान करतल है ।

MCD में एल्डरमैन कल पद कयल है?

- एल्डरमैन के बलरे मेंः एल्डरमैन कसल नगर परषड यल नगर नकलय के सदस्य को संदरभतल करतल है ।
 - यह मूल रूप से एक कबीले यल जनजलतलके बुजुरगों को संदरभतल करतल थल और जलद ही यह [रलजल](#) के वलइसरलय के लयल एक शबद बन गयल ।

बाद में यह एक अधिक वशिष्ट शीर्षक "एक काउंटी के मुख्य मजिस्ट्रेट" को दर्शाता है, जिसमें नागरिक तथा सैन्य दोनों करतव्य होते हैं।

• एल्डरमैन से नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव की अपेक्षा की जाती है, जिनका कार्य सार्वजनिक महत्त्व के नरिण्य लेने में सदन की सहायता करना होता है।

- **एल्डरमैन की भूमिका:** दलिली नगर नगिम (DMC) अधिनियम, 1957 के तहत दलिली को 12 क्षेत्रों में वभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में एक 'वार्ड समिति' है जिसमें नरिवाचति प्रतनिधि और मनोनीत एल्डरमैन शामिल हैं।
- **नामांकन:** दलिली के उपराज्यपाल 10 एल्डरमैन को नामांकित कर सकते हैं जिनकी आयु कम-से-कम 25 वर्ष हो तथा जिन्हें नगरपालिका प्रशासन में अनुभव हो।
- **मतदान का अधिकार:** एल्डरमैन MCD की बैठकों में मतदान नहीं करते हैं, लेकिन वार्ड समितियों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहाँ वे मतदान कर सकते हैं और MCD स्थायी समिति के चुनाव में खड़े हो सकते हैं।
- **स्थायी समिति:** यह समिति, जिसमें एल्डरमैन शामिल हैं, MCD के कार्यों का प्रबंधन करती है और 5 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंध, बजट संशोधन और अधिकारियों की नियुक्ति जैसे नरिण्यों के लिये आवश्यक है।
 - एल्डरमैन के बनिा, स्थायी समिति का गठन नहीं किया जा सकता है, जिससे MCD के प्रमुख कार्य रुक जाते हैं।

दलिली का शासन मॉडल क्या है?

- **69वें संशोधन अधिनियम, 1991 ने अनुच्छेद 239AA जोड़ा,** जिसने दलिली के केंद्र शासति प्रदेश का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) कर दिया, जिसका प्रशासन LG द्वारा किया जाएगा, जो मंत्रपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है।
 - 'सहायता और सलाह' नियम केवल उन मामलों पर लागू होता है, जहाँ दलिली विधानसभा के पास अधिकार है, जिसमें राज्य और समवर्ती सूची के विषय शामिल हैं। यह सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि पर लागू नहीं होता है।
- साथ ही, अनुच्छेद 239AA, LG को मंत्रपरिषद के साथ 'किसी भी मामले' पर मतभेद को राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार देता है।
- **दलिली के शासन मॉडल पर न्यायापालिका की राय:** दलिली सरकार बनाम भारत संघ, 2018 में, सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने निम्नलिखित नरिण्य दिये।
 - **उद्देश्यपूर्ण नरिमाण:** न्यायालय ने उद्देश्यपूर्ण नरिमाण के नियम का उपयोग करते हुए कहा कि 69वें संशोधन अधिनियम, 1991 के पीछे के उद्देश्य अनुच्छेद 239AA की व्याख्या का मार्गदर्शन करेंगे।
 - इसका अर्थ है कि अनुच्छेद 239AA संघवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों को शामिल करता है, जो दलिली को अन्य केंद्र शासति प्रदेशों की तुलना में एक वशिष्ट दर्जा देता है।
 - **LG को सहायता और सलाह पर कार्य करना होगा:** न्यायालय ने घोषणा की कि LG मंत्रपरिषद की "सहायता और सलाह" से बंधे हैं, यह देखते हुए कि दलिली विधानसभा के पास समवर्ती सूची में शामिल सभी विषयों और राज्य सूची में तीन बहिष्कृत विषयों (सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि) को छोड़कर सभी पर कानून बनाने की शक्ति है।
 - LG को मंत्रपरिषद की "सहायता और सलाह" पर कार्य करना चाहिए, सविय इसके कि जब वह किसी मामले को अंतिम नरिण्य के लिये राष्ट्रपति के पास भेजता है।
 - **कोई भी मामला प्रत्येक मामला नहीं होता:** सर्वोच्च न्यायालय ने नरिण्य सुनाया कि LG केवल असामान्य मामलों में ही किसी मामले को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, न कि मंत्रपरिषद के साथ प्रत्येक असहमति के लिये।
 - **LG एक सुवधाकर्त्ता के रूप में:** LG नरिवाचति मंत्रपरिषद के वरिधी के रूप में कार्य करने के बजाय एक समन्वयक के रूप में कार्य करेगा।
 - **नई दलिली को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता:** साथ ही, न्यायालय ने नरिण्य सुनाया कि संवैधानिक योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दलिली को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता।

नषिकर्ष

सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि दलिली का शासन संवैधानिक विश्वास और सहयोग पर नरिभर करता है। सहायकता के सिद्धांत के लिये सुव्यवस्थति स्थानीय सरकारों की आवश्यकता होती है, इसलिये भारत को जकार्ता, सयोल, लंदन व पेरिस जैसे वैश्विक मेगासिटीज़ के उदाहरण का अनुसरण करते हुए शहर की सरकारों को अधिक शक्ति प्रदान करनी चाहिये।

?????? ???? ?????:

प्रश्न: 69वें संवैधान संशोधन अधिनियम के मुख्य बट्टि क्या हैं और कनि मुद्दों ने दलिली के नरिवाचति प्रतनिधियों और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच संघर्ष का कारण बना है? स्पष्ट कीजिये।

[69वाँ संवैधान संशोधन अधिनियम, 1991](#)

UPSC यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

???????

प्रश्न. 69वें संवैधान संशोधन अधिनियम के उन अत्यावश्यक तत्त्वों और वषिमताओं, यदि कोई हों, पर चर्चा कीजिये, जिन्होंने दलिली के

प्रशासन में नरिवाचति प्रतनिधियों और उप-राज्यपाल के बीच हाल में समाचारों में आए मतभेदों को उत्पन्न कर दिया है। क्या आपके वचिर में इससे भारतीय परसिंघीय राजनीतिके प्रकार्यण में एक नई प्रवृत्तिका उदय होगा? (2016)

प्रश्न. क्या उच्चतम न्यायालय का नरिणय (जुलाई 2018) दलिली के उप-राज्यपाल और नरिवाचति सरकार के बीच राजनैतिक कशमकश को नपिटा सकता है? परीक्षण कीजिये। (2018)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/power-of-lg-to-nominate-mcd-aldermen>

